न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 75/2025 G.C.M.S. No. 2025/481 दर्ज दिनांक : 21.07.2025

अपीलार्थी:

1. जुठाराम पुत्र गणेशाराम, जाति कलबी, निवासी दांतवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. दलपतसिंह पुत्र धनसिंह
2. सालूसिंह पुत्र धनसिंह, जातियान राजपूत, निवासीगण दांतवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।
3. धुनी देवी पत्नि गणेशाराम
4. रामजीराम पुत्र ठाकरी
5. लवगों पुत्री ठाकरी
6. सुरताराम पुत्र ठाकरी, जातियान कलबी, निवासीगण दांतवाड़ा, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाड़ा व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2022 बअनवान दलपतसिंह वगैरह बनाम जूठाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.06.2026 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20.06.2025

पैरोकार–

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2022 बअनवान दलपतसिंह वगैरह बनाम जूठाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.06.2026 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण के द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया था तथा नियुक्त करने के बाद प्रकरण में उन्हें जवाब दिया जाना था, परन्तु उनके द्वारा नहीं दिया गया है तथा दिनांक 23–05–2025 को उनके द्वारा प्रकरण में नो–इंस्ट्रेशन प्लीड किया गया है, यानि मैं इस प्रकरण में पक्षकार की ओर से कार्यवाही करने में असमर्थ हूँ। अधिकता द्वारा नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड करने पर अप्रार्थीगणों को नोटिस देना

था, जो नहीं दिया गया था। जब अधिवक्ता द्वारा नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड किया गया, तब न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकार को नोटिस दिया जाना न्यायहित में उचित था, परन्तु अदालत हाजा द्वारा नोटिस नहीं देकर दिनांक 09–06–2025 को एकपक्षीय आदेश किया गया है। अदालत के द्वारा उक्त विधिसम्मत कार्यवाही नहीं करने से किया गया आदेश सर्वथा विधिविरूद्ध है। खसरा नंबर 651 की भूमि राजस्थान सरकार की खाता संख्या 1 की भूमि है जो मौके पर गैर मुमकिन नाला की भूमि है उक्त भूमि पर नाला चलता है। उक्त भूमि की अब किस्म गै.मु. रास्ता की जा रही है। अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में स्पष्ट निर्णय दिया कि गैर मुमकिन ओरण, गोचर, नदी, नाला, सरकार की भूमि पर किस्म परिवर्तित नहीं हो सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नबंर 651 में से होकर रास्ता दिया गया है। खसरा नंबर 649 व 653 के उत्तरी भाग में नजदीकतम रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते से होकर ही अपने खेतों में आवागमन करते हैं। तहसीलदार के आदेश से दिनांक 02–03–2023 को मौकाफर्द बनाई गई। उक्त मौका फर्द बनाने पर अप्रार्थी मौके पर नहीं बुलाया गया, मौकाफर्द प्रार्थीगणों के कहने पर ही बनाई गई हैं, जबकि माननीय राजस्व मण्डल का स्पष्ट आदेश है कि मौका फर्द बनाते समय दोनों पक्षकारों को नोटिस भेजकर मौकाफर्द की कार्यवाही की जाये। इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर, न ही नोटिस देकर विधि सम्मत कार्यवाही की गई हैं। प्रकरण में अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थीं। दिनांक 17–07–2025 को तहसीलदार द्वारा नोटिस भेजकर उक्त रास्ते बाबत पैसे देने बाबत पत्र पटवारी के मार्फत भेजा गया जो पैसे नहीं लिये हैं तथा तहसीलदार ने 21 तारीख को तहसीलदार तहसील शाखा रानीवाडा में हाजिर होने बाबत नोटिस दिया तब उक्त जानकारी हुई हैं। निर्णय दिनांक 09–6–2025 व 20–06–2025 को निर्णित किया गया है। उक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अपनी जोत तक पहुंच हेतु नवीन रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.06.

2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20.06.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट सहित अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब हेतु नियत थीं। इसी दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.05.2025 को नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड किया गया। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस/सूचित किए बिना दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थीगण का जवाब बंद करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 09.06.2025 एवं 20.06.2025 को अपीलाधीन आदेश एवं संशोधित आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किया गया। यह स्वीकृत स्थिति है कि अधिवक्ता द्वारा अदालत में कार्यवाही के दौरान प्रकरण में नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड किये जाने की दशा में न्यायालय के लिए यह आज्ञापक है कि वह संबंधित पक्षकारान को नोटिस जारी करते हुए इसे अवगत व सूचित करावें। ताकि संबंधित पक्षकार अपनी समुचित प्रतिरक्षा कर सकें। प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण व दूषित होने से काबिल अपास्त है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. करड़ा की मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित भू.अ.नि. द्वारा मौका निरीक्षण करने से पूर्व न तो संबंधित प्रभावित पक्षकारान को सूचित किया गया एवं न ही प्रभावित पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जबकि ऐसा किया जाना आज्ञापक था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारां भी इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो पुष्टियोग्य नहीं माना जा सकता।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2022 बअनवान दलपतसिंह वगैरह बनाम जूठाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.06.2026 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20.06.2025 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ

विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का अधिकतम दो अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से सभी प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड अधिकारी रानीवाड़ा में दिनांक 25.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली